समाहरणालय, बक्सर

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

(sscbxr@gmail.com)

पत्रांक.............................सा0सु0,   दिनांक............../........./2019

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
बक्सर जिला
असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
बक्सर।

विषय :– **दिव्यांगजनों हेतु दिनांक 15.12.2019 से 30.12.2019 तक विशेष शिविर आयोजित करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय बिहार पटना का पत्रांक 1001 दिनांक 13.12.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य में दिव्यांगता प्रमाणीकरण का शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने एवं उनके लिए उपयुक्त सहायक उपकरण निर्धारित करने हेतु दिव्यांगजनों का परीक्षण करने तथा यू0डी0आई0डी0 परियोजना में प्रगति लाने के उद्देश्य से बुनियाद केन्द्र द्वारा संचालित ''बुनियाद संजीवनी सेवा'' के माध्यम से सभी प्रखण्ड मुख्यालय में दिनांक 15.12.2019 से 30.12.2019 तक निम्न कार्यक्रम के अनुसार शिविर का आयोजन करने का निदेश दिया जाता है।

क्र0 सं0	तिथि	प्रखण्ड का नाम
1.	16.12.2019	चक्की
2.	17.12.2019	ब्रहम्पुर
3.	18.12.2019	नावानगर
4.	19.12.2019	चौगाई
5.	20.12.2019	केसठ
6.	21.12.2019	सिमरी
7.	23.12.2019	डुमराँव
8.	24.12.2019	डुमराँव (डुमराँव अनुमण्डल क्षेत्र के सभी छुटे हुए दिव्यांगो के लिए)
9.	26.12.2019	इटाढ़ी
10.	27.12.2019	राजपुर
11.	28.12.2019	चौसा
12.	30.12.2019	बक्सर

1. उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार प्रखण्ड मुख्यालय में दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं सहायक उपकरण निर्धारण हेतु लाभुकों का परीक्षण तथा यु0डी0आई0डी0 कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

2. उक्त कार्यक्रम हेतु सभी प्रखण्ड के वरीय पदाधिकारी अपने प्रखण्ड के नोडल पदाधिकारी होंगे तथा शिविर का मोनिटरिंग संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी तथा सिविल सर्जन बक्सर द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
3. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में उल्लेखित सभी प्रकार के दिव्यांगताओं का प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रकार के चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति असैनिक शल्य चिकित्सक –सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा उचित संख्या में उक्त शिविर में की जायेगी।
4. वैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारक दिव्यांगजन जिनके द्वारा अबतक यु0डी0आई0डी0 कार्ड हेतु आवेदन नहीं किया गया है। उनके लिए भी शिविर में आवेदन करने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। यु0डी0आई0डी0 कार्ड हेतु आवश्यक सभी प्रकार के दस्तावेज दिव्यांगजनों से शिविर में जमा कराया जाएगा। जिसका संधारण सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग –सह– जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अनुश्रवण में बुनियाद केन्द्र के कर्मी द्वारा किया जाएगा। शिविर समाप्ति के उपरांत बुनियाद केन्द्र के माध्यम से यु0डी0आई0डी0 पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा।
5. सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग –सह– जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बुनियाद संजीवनी सेवा का प्रखण्डवार रोस्टर जिला प्रबंधक बुनियाद केन्द्र के सहयोग से तैयार करेंगे।
6. विशेष शिविर हेतु प्रखण्डवार रोस्टर (पदाधिकारी, एवं कर्मी के नाम एवं मोबाईल नंबर के साथ) सिविल सर्जन, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक बुनियाद केन्द्र तैयार कर पत्र निर्गत करेंगे जिसकी प्रतिलिपि विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।
7. विशेष शिविर में निर्धारित तिथि को दिव्यांगजनों को **Mobilize** करने एवं सभी आवश्यक दस्तावेज यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र संबंधी दस्तावेज एवं आवास प्रमाण संबंधी दस्तावेज की छायाप्रति तथा पासपोर्ट साईज फोटों एवं हस्ताक्षर का नमुना साथ लाने हेतु सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/स्थानीय निकाय/जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी द्वारा प्रचार प्रसार किया जायेगा।
8. विशेष दिव्यांगजन शिविर के अनुश्रवण का कार्य सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग –सह– जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा किया जायेगा एवं प्रतिदिन प्रतिवेदन विभाग तथा अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जायेगा।
9. शिविर समाप्ति के उपरांत सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग –सह– जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा शिविर में आकलित सहायक उपकरणों की सूची तैयार की जायेगी जिसे एलिमको कानपुर से सम्बल अन्तर्गत उपलब्ध राशि से नियमानुसार क्रय करते हुए संबंधित दिव्यांगजनों को बुनियाद केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
10. अतिविशिष्ट अथवा आधुनिक सहायक उपकरण, जिसका निर्माण एलिमको कानपुर द्वारा नहीं किया जाता है, की सूची स्क्रीनिंग कमिटि के समीक्षोपरांत सभी साक्ष्य सहित राज्य आयुक्त निशक्ता कार्यालय पटना को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जायेगा।
11. शिविर में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारीयों एवं कर्मियों हेतु अल्पहार आदि की व्यवस्था सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग –सह– जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका व्यय मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना सम्बल के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी राशि से किया जायेगा।

12. शिविर के दौरान प्राथमिक उपचार, पेयजल,सुरक्षा आदि के व्यवस्था के लिए संबंधित पी0एच0सी0, थाना एवं संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा अनुमण्डल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

ह0
जिला पदाधिकारी
बक्सर

ज्ञापांक 17-16 मु0 दिनांक 14/12/19

प्रतिलिपि :– 1. जिला प्रबंधक बुनियाद केन्द्र, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 2. सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 3. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्वशिक्षा अभियान, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 4. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, ICDS बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि कार्यक्रम एवं कंडिका 7 का प्रचार प्रसार स्थानीय निकाय के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– 5. सभी प्रखण्डों के वरीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 6. जिला सुचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि कार्यक्रम एवं कंडिका 7 का प्रचार प्रसार स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– 7. अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर/डुमराँव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 8. पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– 9. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

14/12/19
जिला पदाधिकारी
बक्सर